न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

मुत.(6ए)संख्या 19/24 वर्ष 2024

GCMS NO :–2024/129

बउनवानी:–सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक सवाईमाधोपुर, जिला सवाई माधोपुर

बनाम

श्री घनश्याम अग्रवाल पुत्र कालूराम अग्रवाल निवासी बस स्टेण्ड के पास बौंली, सवाईमाधोपुर

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ऐ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955)

उपस्थित :– श्री प्रहलाद मीना (प्रवर्तन निरीक्षक) पैरोकार, रसद

–: निर्णय :– दिनांक 13.8.2025

प्रवर्तन निरीक्षक, बौली द्वारा दिनांक 8.10.2024 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के नियम 6 ऐ के तहत इस न्यायालय मे प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 21.9.2024 को खाद्य विभाग राज0 जयपुर के आदेशो की पालना में जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार घरेलु एल.पी.जी.गैस का अवैध व्यवसायिक कार्यो मे दुरूपयोग रोकने हेतु गठित संयुक्त जॉच दल द्वारा की गयी जॉच कार्यवाही के दौरान अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार सवाईमाधोपुर पर घरेलू गैस सलेण्डर का अवैध भण्डारण पाये जाने पर जब्त कर कब्जे राज लिये गये 2 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किये जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करने पर दर्ज पंजिका में इन्द्राज किया जाकर सुनवायी हेतु अप्रार्थी की तलबी जरिये नोटिस की गयी।

तत्पश्चात् बहस पैरोकार रसद एवं वकील अप्रार्थी उपस्थित नही।

पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रवर्तन निरीक्षक बौंली की ओर से इस न्यायालय में दिनांक 8.10.2024 को अन्तर्गत धारा 6 (ऐ) आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 के तहत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि संयुक्त जॉच दल के साथ श्री कीर्तेश मीना प्रवर्तन निरीक्षक बहमराह सुश्री ज्योति शर्मा प्रर्वतन निरीक्षक, द्वारा विभागीय निर्देशों की पालना में एलपीजी गैस के अवैध दुरूपयोग की जॉच हेतु दिनांक 21.9.2024 को अप्रार्थी की फर्म मैसर्स अग्रवाल मिष्ठान भण्डार सवाईमाधोपुर पर पहुँचकर आकस्मिक जॉच की गई। मौके पर वरवक्त जॉच श्री घनश्याम पुत्र कालूराम अग्रवाल निवासी बस स्टेण्ड के पास बौंली उपस्थित मिले जिनकी उपस्थिति में जॉच की गयी। वरवक्त जॉच मौके पर 14.2. किलोग्राम के 2 घरेलू गैस सिलेण्डर का अवैध भण्डार एवं फर्म पर व्यवसायिक कार्य मे अवैध उपयोग लेते हुए पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी फर्म पर घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग किया गया है जो द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं विनियमन) आदेश 2000 का उल्लंघन है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। अप्रार्थी के व्यवसाय स्थल पर पाये गये निम्न घरेलू 2 गैस सलेण्डर 14.2 किग्रा कम्पनी आईओसीएल अप्रमाणित को जब्त कर दुरूपयोग रोकने की दृष्टि से कब्जेराज लिया गया एवं निम्नानुसार जब्त किये गये सलेण्डर का निरीक्षण पर्चा,फर्द अभिग्रहण,व सुपुर्दगीनामा, मौके पर तैयार कर मैसर्स बौंली इण्डेन गैस सर्विस बौली के प्रतिनिधि श्री रूपनारायण भदोरिया पुत्र श्री रघुनाथ भदोरिया निवासी बौंली को अग्रिम आदेश तक सुरक्षित रखने हेतु सुपुदर्गी मे दिये गये है। मौके पर से निम्न विवरणानुसार गैस सिलेन्डर जब्त किये गये है।

क.सं.	कम्पनी का नाम	एस.आर.नं.	खाली सिलेण्डर का वजन किग्रा	मौके पर वजन किये गये का भार किग्रा	शुद्व गैस वजन किग्रा
1	आईओसीएल	526	15.4	[illegible]	3.800
2	आईओसीएल	872117	15.9	[illegible]	8.600
	कुल गैस भार		31.30	43.70	[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:10 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

(मुत. 6ए संख्या 19/2024 सरकार जरिये प्रवर्तन निरीक्षक बनाम घनश्याम अग्रवाल)

अप्रार्थी का उक्त कार्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध की श्रेणी मे आता है। अतः प्रस्तुत 6 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार कर जब्त किये गये 2 गैस सलेण्डर को राजसात किये जाने बाबत पैरोकार रसद द्वारा निवेदन किया गया।

विद्वान वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के अनुसार अप्रार्थी अपनी जीविकोपार्जन के लिए एक छोटी सी मिठाई एवं चाय पकौडी की दुकान संचालित करता है दिनांक 21.9.2024 को अप्रार्थी के पिता का श्राद्व पुण्यतिथि का कार्यक्रम था इसलिए घर पर 40–50 लोगो के भोजन के लिए खीर पुडी सब्जी बनाने की व्यवस्था अपनी दुकान पर ही करनी थी इसके लिए दूध, तेल ,आटा एवं दो गैस सलेण्डर जिनमे आधे से भी कम गैस थी इन सब सामान को अपने घर से अपनी दुकान पर लाकर भौजन तैयार कर रहा था उसी समय जिला रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा बाजार की जॉच के दौरान अप्रार्थी के दो घरेलू गैस सलेण्डर जब्त कर लिये जबकि अप्रार्थी के पास अपनी दुकान के उपयोग हेतु वाणिज्यक गैस सलेण्डर का कनेक्शन है जिसका खाता संख्या सीआर 7239893957 है एवं जो घरेलू गैस सलेण्डर जब्त किये है वो भी अप्रार्थी के वैद्य घरेलू कनेक्शन के खाता संख्या बी 005570 पर जारी है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर किसी भी प्रकार के घरेलू गैस कनेक्शन को वाणिज्यिक उपयोग नही किया गया है अपनी दुकान पर वाणिज्यिक गैस सलेण्डर का ही काम मे लिया जाता है । अतः अप्रार्थी की फर्म पर अप्रार्थी विरूद्व की गयी कार्यवाही ड्रोप कर प्रकरण मे जब्त 2 गैस सलेण्डर मुझ अप्रार्थी को वापस लोटाये जाने बाबत वकील अप्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार रसद को सुनने एवं संबंधित पत्रावली मे उपलब्ध जवाब का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है कि अप्रार्थी की फर्म से प्रवर्तन निरीक्षक बौली द्वारा दिनांक 21.9.2024 को जॉच के दौरान जब्त किये गये 2 गैस सलेण्डर व्यवसायिक प्रतिष्ठान पर रखने की कोई विधिक स्वीकृति एवं उचित क़ारण नही बताया गया है। जहॉ तक जब्त किये गये 2 गैस सलेण्डर का उपयोग अप्रार्थी के पिता की पुण्यतिथि के लिए 40–50 व्यक्तियों का खाना बनाने के लिए लेकर आने का प्रश्नं है तो जब दुकान पर व्यवसायिक गैस सलेण्डर होना बताया है तो उक्त खाना व्यवसायिक सलेण्डर से क्यो नही बनाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा किये गये उक्त कथन के समर्थन मे ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किया गया है जिसके आधार पर उसके द्वारा किये गये कथन की पुष्टि हो सके। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अनुसार उक्तानुसार जब्त किये गये 2 घरेलू गैस सलेण्डर का उपयोग व्यवसायिक कार्य मे उपयोग होने की पुष्टि होती है। अप्रार्थी अपने प्रतिष्ठान पर उक्तानुसार 2 घरेलू गैस सलेण्डर रखने/उपयोग करने के संबंध में कोई ठोस विधिक कारण बताने मे असमर्थ रहा है। ऐसी स्थिति में प्रवर्तन निरीक्षक बौली द्वारा की गयी जब्ती कार्यवाही में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रवर्तन अधिकारी बौंली द्वारा प्रस्तुत 06 ऐ प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वरवक्त जॉच कब्जे राज लिये गये उक्त 2 गैस सिलेन्डर को राजसात (Confiscate) किया जाता है। जिला रसद अधिकारी सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण मे जब्त 2 गैस सलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करवाकर पालना रिपोर्ट अन्दर एक माह इस न्यायालय को भिजवावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.8.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Kana Ram
Date: 2025.10.21 15:36:10 IST
Reason: SelfAttested

(काना राम)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner